

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, बून्दी

क्रमांक :-

दिनांक :-

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- F-14 ()2017/FCA/PCCF/EDS-1 dated 26.06.2018 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- **Construction of Gararda Medium Irrigation project Distt. bundi**

यूजर एजेन्सी का नाम :- Executive Engineer WR Div. Bundi

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 18.567 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Bundi District and Bundi territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- **FP/RJ/IRRIG/30576/2017 Date of Proposal : 04.05.2018**

1	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 A-1 (ii) में यूजर एजेन्सी द्वारा वन भूमि का अनारक्षण किस उद्देश्य के लिये कराया जा रहा है स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	संलग्न कर दी गई हैं।
2	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 B-1 में यूजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रेषित पुराने स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की सूचना दिया जाना प्रस्तावित है।	उक्त डेम के डूब क्षेत्र की वन भूमि की स्वीकृति लगा दी गई है।
3	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 B-2.3 में ग्रामवार वन / गैर वन भूमि का विवरण आवेदित क्षेत्र से मिलान नहीं कर रहा है।	संशोधित कर दी गई है।
4	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1C(ii) में संलग्न KML File Polygon Shape में निम्नांकित कमियाँ हैं। 1. KML File Polygon Shape में कम्पोनेट अनुसार दी जानी प्रस्तावित है। 2. प्रस्तुत KML File Polygon Shape में पॉलीगॉन का क्षेत्र 18.5974 हेक्टर है। जबकि आवंटित वन क्षेत्र 18.567 हेक्टर है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	1. KML File Polygon Shape में कम्पोनेट अनुसार संलग्न कर दी गई हैं। 2. प्रस्तुत KML File Polygon Shape में पॉलीगॉन का क्षेत्र 18.5974 हेक्टर है। जबकि आवंटित वन क्षेत्र 18.567 हेक्टर है। संशोधित कर संलग्न कर दी गई है।
5	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C के (iii) में संलग्न GT Sheet Scale 1:50000 में GT Sheet का नम्बर नहीं है इसमें शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।	इसमें शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिये गये हैं।
6	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 C के (iv) में संलग्न DGPS मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के सभी कॉर्नर्स के अक्षांश देशान्तर नम्बर एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	DGPS मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के सभी कॉर्नर्स के अक्षांश देशान्तर नम्बर एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिये गये हैं।
7	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D (i) में प्रस्तावित नहर बनाये जाने की औचित्यता एवं विभिन्न कन्टूर पर लिये गये विभिन्न विकल्पों के अध्ययन का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	कन्टूर केनाल होने के कारण अन्य विकल्प संभव नहीं हैं तथा केनाल की परिधि के 500 मी. तक वन भूमि आती है।

8	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 E में यूजर एजेन्सी द्वारा रोजगार सजन संबंधी सूचना काल्पनिक है। पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	पूर्ण विवरण सहित सूचना संलग्न कर दी गई है।
9	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 L में अनारक्षण के बदले गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कराया गया है। प्रस्ताव में चाकन परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि में से भूमि का आवंटन आरक्षित किया गया है। उक्त भूमि वन विभाग को वर्ष 1999 में प्राप्त हो चुकी है। जिसका राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है इस संबंध में चाकन परियोजना हेतु आवंटित की गई भूमि का पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में 18.567 हैं. वन भूमि का प्रत्यावर्तन होना प्रस्तावित है जबकि जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश में 18.573 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उतनी ही गैर वन भूमि आवंटित की गई है। जबकि बिन्दु संख्या एल में संलग्न सूचना 18.690 हैं. की दी गई है। दोनों में एक रूपता हेतु संशोधित DGPS Map, KML File, GT Sheet & Revenue Details संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	संशोधित कर संलग्न कर दी गई है।
10	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 M में CAT Plan संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं ने निम्न सूचना दिया जाना अपेक्षित है। 1. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 2. कम्पोनेट वाइज रिवाइज्ड बार चार्ट 3. प्रोजेक्ट डिटेल्स 4. जमाबंदी 5. 12 मीटर चौड़ाई में लिया जाने वाला ले आउट प्लान एवं केनाल के क्रॉस सेक्शन	1. संलग्न कर दी गई हैं। 2. संलग्न कर दी गई हैं। 3. संलग्न कर दी गई हैं। 4. संलग्न कर दी गई हैं। 5. संलग्न कर दी गई हैं।



अधिशायी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड

बून्दी